

खण्ड - II

अ - महत्वपूर्ण तिथियां

क्रं.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमंडल दक्षिण सागर में वृक्षारोपण कार्यों के लिये सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	एचएम/2026/220 दिनांक 02/04/2026
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	5000/- + प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचलित रूप में निर्धारित)
4	सत्यांकर निधि	₹ 3,00,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2026-27 जिसमें वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	सामग्री वार पृथक-पृथक (खण्ड V में दर्शित अनुसार)
7	अनुमानित निविदा मूल्य	₹ 1,50,00,000/-
8	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
9	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय एवं तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
10	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय एवं तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल


खण्ड – III

ब – निविदा दस्तावेज

(1) निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. पैन कार्ड
3. विगत 03 वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न
4. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1
5. अनुलग्नक -02
6. अनुलग्नक -03
7. अनुलग्नक -04 पूर्व योग्यता मापदण्ड प्रमाण पत्र
8. अनुलग्नक - 06 (संयुक्त उद्यम)- यदि लागू हो
9. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
10. दुकान/प्रतिष्ठान का वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति
11. सत्यंकार की राशि रुपये 300000.00 (तीन लाख रुपये मात्र) जमा की रसीद ।
12. संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोग निविदा में दर्शित सामग्री प्रदाय किया हो, संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें ।
13. सामग्री से संबंधित HSN CODE
14. सामग्री की गुणवत्ता की NABL LAB से Pre Delivery Report.
15. यदि फर्म Original Equipment Manufacturer (OEM) है, तब Manufacturing Unit का Address सहित जियोटैग फोटोग्राफ्स, तकनीकी निविदा में अनिवार्य रूप से अपलोड करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वनमंडल द्वारा सामग्री का निरीक्षण कराया जा सके ।
16. STARTUP INDIA होने की स्थिति में निर्धारित प्रमाण-पत्र ।
17. निर्धारित प्रपत्र A1

निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देश एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा ।


वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड – IV

वर्ष 2026–27 के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा की शर्तें
दक्षिण सागर वनमंडल

1. आनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकार की राशि रू. 3,00,000/- (तीन लाख रू) आनलाईन जमा करनी होगी । सत्यंकार राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम राशि रू. 3 करोड़ का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है । फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टर्ड एकाऊन्टेड से प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है । इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी अपलोड करना अनिवार्य है ।
3. STARTUP INDIA संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मात्र शर्त क्रमांक 02 अनुसार निर्धारित चाहे गये टर्नओव्हर एवं अनुभव में ही छूट प्रदाय की जा सकेगी ।
4. निविदाकार को निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की पठनीय स्केन प्रति, जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर हों, अपलोड करना अनिवार्य है । दस्तावेज अपठनीय होने पर निविदाकार को निविदा से बाहर किया जा सकता है ।
5. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता वित्तीय वर्ष 2026–27 रहेगी जो सफल निविदाकार और वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है ।
6. सफल निविदाकार को खण्ड V में उल्लेखित तालिका अनुसार पृथक-पृथक **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि की एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी की गयी हो एवं वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के नाम से हो, जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक (जो कि वन मंडल अधिकारी या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँची जावेगी) न होने की स्थिति में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है एवं **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा ।
8. निविदा में दर्शित निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक सामग्री प्राप्त न होने पर अस्वीकृत सामग्री को प्रदायकर्ता को अपने व्यय से तत्काल मौके से हटाना होगा ।
9. प्रत्येक सामग्री/Item के लिये सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर **L1** के आधार पर किया जावेगा । सामग्री की मांग अनुसार सामग्री के प्रदाय आदेश **L1** को जारी किये जावेंगे । यदि **L1** फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में संबंधित स्थलों पर सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो तकनीकी निविदा में सम्मिलित अन्य सफल निविदाकार **L2, L3** एवं **L4** के क्रम अनुसार दरों पर सामग्री क्रय की जा सकेगी, अथवा **L1** की दरों पर बाजार से सामग्री क्रय की जा सकेगी ।

10. वनमंडल दक्षिण सागर की क्षेत्रीय सीमा के अंदर वन परिक्षेत्र सागर, ढाना, राहतगढ़, गढ़ाकोटा, केसली, गौरझामर, देवरी एवं काष्ठागार सिरोंजा के वनक्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी इसके लिए अनुलग्नक 3 हस्ताक्षरित कर अपलोड करना अनिवार्य है ।
11. प्रदाय की जाने वाली मात्रा अनुमानित है, इसमें घट-बढ़ हो सकती है, जिसके लिये निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी । भुगतान सामग्री की वास्तविक प्राप्त मात्रा के आधार पर किया जावेगा ।
12. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती की जावेगी ।
13. सामग्री का प्रदाय, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा ।
14. प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावे, जिससे मापन में सुविधा हो ।
15. यदि सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर निविदाकार का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि जब्त कर ली जावेगी एवं शर्त क्रमांक 09 अनुसार अन्य निविदाकारों से L1 की दरों पर सामग्री क्रय कर ली जावेगी ।
16. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल के पास सुरक्षित होगा ।
17. निविदा दर स्वीकृत होने पर 1000/- रु. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा ।
18. जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार की राशि शीघ्रातिशीघ्र लौटा दी जावेगी ।
19. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा ।
20. सामग्री की गुणवत्ता हेतु मापदण्ड आई.एस.आई. मार्का/म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होनी चाहिये ।
21. सफल निविदाकार को सामग्री प्रदाय के समय NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट साथ में प्रस्तुत करनी होगी । परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में सामग्री का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा ।
22. वनमंडल अधिकारी एवं उनके अधिकृत अधिकारी अपने स्तर से भी सामग्री का परीक्षण करा सकते हैं, परीक्षण शुल्क की राशि संबंधित निविदाकार से वसूल की जावेगी ।
23. वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर को निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
24. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (**Interpretation**) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का निर्णय अंतिम होगा ।
25. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का होगा ।
26. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र सागर न्यायालय के अंतर्गत ही रहेगा ।
27. निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये मान्य होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो निविदा की अवधि 90 दिवस तक बढ़ायी जा सकेगी ।
28. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बतायें प्रस्ताव के लिए अनुरोध के लिए (**आरएफपी**) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है, निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबंधता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के

- परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है ।
29. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है ऐसा ना करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा ।
 30. सत्यंकार निधि जब्त करने और निविदा को किसी भी प्रक्रिया पर अस्वीकार या निरस्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय निविदाकर्ता का होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा ।
 31. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी । निविदाकार वन मंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि वन मंडल की भौगोलिक सीमा तक होगी । निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा ।
 32. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) कटौती की जाएगी ।
 33. यदि निविदा की बैद्यता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की सत्यंकार की राशि (ई एम डी) और **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** जप्त की जा सकती है ।
 34. इस निविदा सूचना में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के पास होगा ।
 35. निविदाकार को अपनी व्यक्तिगत/फर्म की समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र A1 एवं अनुलग्नक 2 में दर्ज कर अपलोड करना अनिवार्य होगी ।
 36. सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रदाय आदेश स्वीकृत निविदाकर्ता के व्हाटसएप/ई-मेल पर प्रेषित किये जावेंगे, जिन्हें निविदाकार को मान्य करना होगा ।
 37. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चें वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा ।
 38. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें इस संबंध में सभी खर्चें निविदाकार को वहन करना होगा ।
 39. निविदा में सम्मिलित जिन सामग्रियों में रायल्टी की आवश्यकता होती है, उन सामग्रियों की रायल्टी की रसीद की छायाप्रति सामग्री प्रदाय करते समय, संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।
 40. निविदाकार की वित्तीय निविदा खुलने के उपरांत निविदाकार द्वारा दर्शायी गयी दरों का वनमंडल स्तरीय निविदा समिति द्वारा बाजार दर से मूल्यांकन किया जावेगा, यदि प्रस्तुत दरें बाजार दर से बहुत ज्यादा अधिक अथवा बहुत ज्यादा न्यूनतम होने की स्थिति में वनमंडल स्तरीय निविदा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित करने के उपरांत, निविदाकार को वित्तीय निविदा में अमान्य कर दिया जावेगा, इसके लिये निविदाकार द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं ली जा सकेगी ।
 41. निविदा की BOQ फाईल प्रत्येक सामग्री की दर एवं टैक्स की दर का उल्लेख करना अनिवार्य है, टैक्स का उल्लेख न करने की स्थिति में संबंधित सामग्री की निविदा अमान्य कर दी जावेगी ।
 42. उपरोक्तानुसार शर्त क्रमांक 01 से 41 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर **निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)** की राशि राजसात की जावेगी तथा संबंधित फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा ।

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड - V
निष्पादन सुरक्षा राशि

क्रं.	सामग्री का विवरण	निष्पादन सुरक्षा राशि
1	सीमेन्ट (बिरला, प्रिज्म, अल्ट्राटेक, एसीसी, माईसेम) -53 ग्रेड (50 किग्रा प्रति बोरी)	₹ 1,00,000/-
2	लोहा 12 MM (ISI Mark)	₹ 20,000/-
3	लोहा 10 MM (ISI Mark)	₹ 20,000/-
4	लोहा 8 MM (ISI Mark)	₹ 20,000/-
5	लोहा 6 MM (ISI Mark)	₹ 20,000/-
6	ईट (भट्टे वाली) 4x4x8 inch	₹ 50,000/-
7	नदी की साफ रेत/भसुआ (लाल वाली, नदी से प्राप्त)	₹ 50,000/-
8	गिट्टी 8 MM (ब्लास्टिंग वाली)	₹ 10,000/-
9	गिट्टी 10 MM (ब्लास्टिंग वाली)	₹ 10,000/-
10	गिट्टी 12 MM (ब्लास्टिंग वाली)	₹ 10,000/-
11	गिट्टी 20 MM (ब्लास्टिंग वाली)	₹ 10,000/-
12	गिट्टी 40 MM (ब्लास्टिंग वाली)	₹ 10,000/-
13	Kajaria फूलोर टाईल्स डबल लेयर	₹ 10,000/-
14	Kajaria वाल टाईल्स डबल लेयर	₹ 5,000/-
15	वाल पुट्टी	₹ 20,000/-
16	साल लकड़ी	₹ 10,000/-
17	मोनोक्लोरोफोस 36%	₹ 10,000/-
18	ग्रोथ हार्मोन	₹ 10,000/-
19	प्रोफेनोफोस 40% + साईपरमेट 4%	₹ 10,000/-
20	Chloropyriphos 20% EC	₹ 20,000/-
21	0.5 mm thick Profile Sheet GI	₹ 5,000/-
22	ट्यूबलर स्टील पाईप -1 इंच	₹ 5,000/-
23	ट्यूबलर स्टील पाईप -2 इंच	₹ 5,000/-
24	ट्यूबलर स्टील पाईप -3 इंच	₹ 10,000/-
25	कोटा स्टोन	₹ 50,000/-
26	उपजाऊ मिट्टी	₹ 50,000/-
27	गोबरखाद	₹ 10,000/-
28	यूरिया	₹ 10,000/-
29	डी.ए.पी.	₹ 5,000/-
30	इमल्शन पेन्ट (पुताई कार्य हेतु)	₹ 10,000/-
31	हार्ड मुरम	₹ 10,000/-
32	डस्ट/जीरा गिट्टी साईज 6 MM	₹ 20,000/-
33	पेवर ब्लाक - सीमेन्ट (स्टेण्डर्ड साईज)	₹ 20,000/-
34	पेवर ब्लाक साईज 6x6x4 inch (पत्थर)	₹ 20,000/-
35	सागौन रूटसूट नेकेड क्रोबार से रोपण हेतु	₹ 20,000/-
36	वृक्षारोपण कार्य हेतु लोहा गेट	₹ 10,000/-
37	वृक्षारोपण हेतु लोहे का साईन बोर्ड (लिखाई सहित) साईज 3x4 Ft	₹ 10,000/-
38	सरई लकड़ी से बनी चौखट/जंगला	₹ 50,000/-
39	सागौन/यूकेलिप्टस/नीलगिरी पोलिस (2 मीटर लंबे पूर्ण रूप से सूखे, लकड़ी के खंबे जिस पर वाटर रेसिस्टेन्ट पेन्ट किया हुआ)	

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

प्रति,

// प्रपत्र A-1 //

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल, सागर

विषय :- सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2026-27

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	पत्र व्यवहार के लिये ई-मेल आई डी	
4	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
5	पदनाम	
6	मोबाईल नम्बर	
7	पत्र व्यवहार हेतु व्हाट्सएप नम्बर	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के खण्ड 01 से 05 में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2026-27 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील